कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक 24.07.2021

नौकरी दिलाने का झाँसा देकर लोगों के पैसे हड़पने का वांछित अभियुक्त अमरीश गौतम थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार

थाना सिगरा पुलिस टीम द्वारा पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे मु.अ.स. 15/21 धारा 419/420/467/468/471/406/504/506 भादवि के वांछित अभियुक्त अमरीश गौतम पुत्र स्व0 रामगोपाल गौतम निवासी 226 सरसवा अर्जुनगंज सुल्तानपुर रोड थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ को इलेक्ट्रानिक व धरातलीय सर्विलासं की मदद से अभियुक्त के घर के बाहर 226 सरसवा अर्जुनगंज सुल्तानपुर रोड थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ से दिनांक 23.07.21 को समय 21.40 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>घटना का विवरण</u> – दिनांक 14.01.21 को श्री दीपक शर्मा पुत्र टुन्नू शर्मा निवासी ग्रामुस्तफाबाद 0, पोस्ट व थाना जहानागंज जिला आजमगढ व हाल पता सेण्टल जेल रोड थाना शिवपुर जनपद वाराणसी द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि मुझसे व मेरे सहयोगी मित्रो से रेलवे का फर्जी पहचान पत्र दिखाकर नौकरी दिलाने के नाम पर झाँसा देकर अभियुक्तगण 1.शैलेश उपाध्याय उर्फ आकाश उपाध्याय पुत्र विजय कुमार उपाध्याय निवासी ग्राम व पोस्ट बल्ला लरू कुण्डा , थाना महेशगंज जिला प्रतापगढ़ अस्थायी पता साईदाता रोड अर्जुनगंज नियर पुलिस चौकी , अहमामऊ रोड के पीछे लखनऊ 2. रितेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री त्रिभुनाथ गुप्ता निवासी दानापुर, सहटोली गोला रोड,पटना बिहार 3. अमरीश गौतम उर्फ आरु पुत्र स्वबजरंग प्रसाद निवासी 0 सरसवा अर्जुनगंज, गोसाईगंज लखनऊ ने कुल 41,00,000/- (इकतालिस लाखरूपये कूट रचित (अभिलेख व कूटरचित हस्ताक्षर तथा फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर आपस मे नाजायज गोल बनाकर हड़प लिये व पैसे वापस मांगने पर पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी व गाली दी जा रही है जिसके आधार पर थाना सिगरा में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ.नि. सुफियाँन खाँ द्वारा सम्पादित की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर सिगरा पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अमरीश गौतम को लखनऊ स्थित उसके निवास स्थान के पास से गिरफ्तार किया गया। अन्य 02 अभियुक्त अभी फरार हैं।

<u>पूछताछ का विवरण –</u> पूछताछ करने पर अभियुक्त अमरीश गौतम ने बताया कि मैं ,शैलेश उपाध्याय व रितेश कुमार गुप्ता मिलकर रेलवे का फर्जी पहचान पत्र लोगो को दिखाकर नौकरी व नियुक्ति दिलाने के नाम पर झाँसा देकर पैसा लेते थे और अपने शौक को पूरा करते थे हमारे द्वारा दीपक शर्मा से भी नौकरी के नाम पर पैसा लिया था और गिरफ्तारी के डर से अलग होकर लुक छिप कर रह रहे थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

अमरीश गौतम पुत्र स्व0 रामगोपाल गौतम निवासी 226 सरसवा अर्जुनगंज सुल्तानपुर रोड थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ उम्र वर्ष 23।

<u>आपराधिक इतिहास –</u>

मु 0सं0अ015/21 धारा 419/420/467/468/471/406/504/506 भादवि।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. उ0नि0 सुफियान खान चौकी प्रभारी रोडवेज थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी
2. उ0नि0 अजीत कुमार थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी
3. हे0कां0 राजेश सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी
4. कां राकेश सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी